

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. एक/निग./शिवपुरी/भू.रा./2017/61.7.5.

श्री. खरबल सिंह धार को
जिस काज दि. 18/12/17 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 2-1-18 नियत।

खरबल सिंह धार
वकील ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

महेश राठौर पुत्र श्री रामकिशन राठौर;
निवासी ग्राम ऐंचवाडा, तहसील पोहरी,
जिला शिवपुरी म.प्र.

.....आवेदक

बनाम

- 1- धनीराम पुत्र रतनू राठौर निवासी-ग्राम
रायपुर, तहसील पोहरी, जिला शिवपुरी
म.प्र.
- 2- म.प्र.शासनअनावेदकगण

Lakhan Singh Dhakar
Advocate

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959
न्यायालय अनुविभागीय चअधिकारी महोदय पोहरी, जिला शिवपुरी के
प्रकरण क्र. 01/16-17 अपील में पारित आदेश दिनांक 11.10.2017 के
विरुद्ध निगरानी जानकारी दिनांक से अंदर अवधि प्रस्तुत है :-

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य


- 1- यहकि, विवादित कृषि भूमि सर्वे क्र. 1092 रकवा 0.32 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 1101 रकवा 0.28 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकवा 0.60 हैक्टेयर का आवेदक को विधिवत आवंटन नायब तहसीलदार महोदय पोहरी जिला शिवपुरी के द्वारा प्रकरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/6175

जिला – शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.01.2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एल.एस. धाकड़ एवं अनावेदक क. 2 शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित।</p> <p>2/ उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी ने इस आधार पर कि आवेदक लगातार अनुपस्थित रहे हैं, धारा-5 का आवेदन स्वीकार किया है, जो न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि यदि आवेदक उपस्थित नहीं थे तो उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए धारा-5 का आवेदन स्वीकार करने का कारण दर्शाना चाहिए था उसके उपरांत ही विलंब के संबंध में निर्णय देना चाहिए था। ऐसी दर्शित परिस्थिति में आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं कि वे धारा-5 के आवेदन पर दोनों पक्षों को सुनकर बोलता हुआ आदेश पारित करें। तदनुसार यह निगरानी निराकृत की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	

3